

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य एवं समकक्ष अधिकारियों का उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन सामने अंकित स्थान से आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र. सं.	नाम अधिकारी मय वर्तमान पदस्थापन	अवधि	स्थान जहां से वेतन आहरित किया जाना है
1	सुभाष मेनारिया, प्रधानाचार्य, राउमावि, पलोदडा-उदयपुर	सितम्बर-15 एवं अक्टूबर-15	राउमावि, पाटिया, गोगुन्दा-उदयपुर
2	वीना शर्मा, वरिष्ठ व्याख्याता, डाईट, भरतपुर	अक्टूबर-15 से जनवरी-16	राउमावि, जसपुरा मौरोली-वैर, भरतपुर
		फरवरी-16 एवं मार्च-16	डाईट, भरतपुर से वरिष्ठ व्या. पद के विरुद्ध
3	भेमजी खोंट, प्रधानाचार्य, राउमावि, दांतलिया-प्रतापगढ़	8.5.15 से 5.6.15 तक	डाईट, गढी-बांसवाडा से वरिष्ठ व्या. के पद विरुद्ध
		2.4.16 से 22.4.16	राउमावि, दांतलिया-प्रतापगढ़

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है तो नियमानुसार अवकाश प्रकरण का निस्तारण कर वेतन आहरण की कार्यवाही की जावे।

संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक : 26.04.2016

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1,2/वेतन व्यवस्था/2016/  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संबंधित उपनिदेशक (माध्य)
2. संबंधित जि.शि.अ. (माध्य)
3. संबंधित संस्था प्रधान
4. संबंधित कार्मिक
5. गार्ड फंजिका

संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)